

दिनांक 5/2/24 को

5/2 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं ।  
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई  
गई । बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी  
उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण को 100 स्तर पर अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरबाटी

शिकायत नमूना क्रमांक 100/2024  
दिनांक 5/2/24 को